

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

संग्रामसिंह

बनाम

श्री सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 139/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>संग्रामसिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>ओपालासिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>पचुण्डल (फ. ६०३अमपु)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पचुण्डल (फ. ६०३अमपु)</u> स्थित <sup>सह</sup>खातेदारी की आराजी नम्बर <u>264 265</u> <u>266</u> <u>076 114</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> <u>119</u> रकबा <u>3.0900</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के <sup>सह</sup>खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पचुण्डल</u> स्थित <sup>सह</sup>खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>264 265, 266</u> <u>076 114 119</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>3.0900</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रुपये अक्षर <u>डा. ए.आर. रज्ज्वर</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>